म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क / बी–6 / नियमन / लायसेंस / 476 / 1381 , भोपाल, दिनांक 21 / 02 / 2019

प्रति,

1 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
..................................जिला ....(समस्त)

2 संयुक्त / उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)

विषयः–मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सेवा–म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 31 अंतर्गत वर्णित मंडी कृत्यकारियों को अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने या उसके नवीनीकरण किये जाने बावत।

संदर्भः–मण्डी बोर्ड, मुख्यालय का पत्र कमांक / बी–6 / नियमन / लाइसेंस / 476 / 46–47 दिनांक 25.7.2018

विषय संदर्भ मे लेख है कि मण्डी व्यापारी अनुज्ञप्ति (नवीन अथवा नवीनीकरण) के लिए ली जाने वाली प्रतिभूति के संबंध मे मण्डी बोर्ड, मुख्यालय के द्वारा पूर्व मे जारी दिशा–निर्देशो के पत्र कमांक / नियमन / लायसेंस / 2133–2134 दिनांक 18.6.18 की कंडिका 4 मे आवश्यक दस्तावेजो के प्रावधानो को विलोपित करते हुए मण्डी बोर्ड मुख्यालय के पत्र कमांक / बी–6 / नियमन / लायसेंस / 476 / 46–47 दिनांक 25.7.2018 से नवीन निर्देश जारी किये गये है। जिसकी प्रति ई–मेल से समस्त मण्डी सचिवो एवं समस्त आंचलिक अधिकारियो को तत्समय प्रेषित की गई थी।

2/ मण्डी बोर्ड मुख्यालय के पत्र कमांक / बी–6 / नियमन / लायसेंस / 476 / 46–47 दिनांक 25.7.2018 मे मण्डी व्यापारी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजो की कंडिका 4 (i) (अ), (ब), (स), (द), (इ), (फ) मे व्यक्तिगत / सामूहिक प्रतिभूति तथा मण्डी क्षेत्र के भीतर के आवेदक एवं मण्डी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवदेको से ली जाने वाली प्रतिभूति के संबंध मे प्रावधानो को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किये गये थे जो निम्नानुसार है :–

4. आवश्यक दस्तावेज :–

i (अ) मंडी क्षेत्र के आवेदक के दवारा आवेदन के साथ एक दिन की अधिकतम कय क्षमता का उपविधि 18(3) के अनुसार घोषणा पत्र–प्ररूप–छः

(ब) मंडी क्षेत्र के आवेदक के दवारा व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये एफ.डी.आर / नकद प्रतिभूति दिये जाने की दशा मे उपविधि 18(4) के अनुसार प्रमाण पत्र प्ररूप–सात–अ

(स) मंडी क्षेत्र के आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये उपविधि 18(4) के अनुसार मण्डी समिति मे अचल/स्थावर संपत्ति के जमा कराये गये मूल अभिलेख की प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति की वैधता दिनांक तक प्रभावशील रहेगी परन्तु ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के समय आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थावर संपत्ति के स्थान पर नकद, एफ0डी0आर0, बैंक गारंटी अथवा सामूहिक प्रतिभूति जमा कराई जायेगी। यदि आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी अचल/स्थावर संपत्ति को मण्डी समिति के पक्ष मे रजिस्ट्री द्वारा बंधक करता/रखता है तो ऐसी प्रतिभूति उपविधि 18(4) के अन्तर्गत मान्य होगी।

(द) मंडी क्षेत्र के आवेदक के द्वारा प्रतिभूति (व्यक्तिगत/सामूहिक) के लिये बैंक गारंटी दिये जाने की दशा मे संबंधित बैंक के प्रबंधक का वचन पत्र।

(इ) आवेदक के द्वारा सामूहिक प्रतिभूति की दशा मे मण्डी समिति में पंजीकृत व्यापारी एसोसिएशन का उपविधि 18(3) के अनुसार प्रमाण पत्र प्ररूप–सात।

(फ) मण्डी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक को व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये ''अ'' वर्ग की मण्डी हेतु न्यूनतम रूपये 3.00 लाख, ''ब'' वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 2.00 लाख, ''स'' वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 1.50 लाख तथा ''द'' वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 1.00 लाख की मण्डी समिति के पक्ष मे नकद, एफ.डी.आर. अथवा बैंक गारंटी की प्रतिभूति।

उपरोक्तानुसार, समस्त आवेदको के द्वारा एक दिन की अधिकतम कय क्षमता के अनुसार प्रतिभूति दी जायेगी परन्तु आवेदक की एक दिन की खरीदी का मूल्य, दी गई प्रतिभूति राशि से अधिक है तो आवेदक के द्वारा एक दिन की ऐसी वास्तविक कय क्षमता/खरीदी के मूल्य अनुरूप प्रतिभूति मे अनुपातिक वृद्धि कर, तत्समय मण्डी समिति को अतिरिक्त प्रतिभूति दी जायेगी।

3/ कतिपय प्रकरणो मे यह संज्ञान मे आया है कि मण्डी सचिवो द्वारा मण्डी बोर्ड मुख्यालय के पत्र कमांक/बी–6/नियमन/लायसेंस/476/46–47 दिनांक 25.7.2018 मे जारी दिशा–निर्देशो की उचित प्रकार से विवेचना नही की जाकर प्रतिभूति के संबंध मे वर्तमान लागू प्रावधानो का पालन नही किया जा रहा है एवं मण्डी सचिवो के द्वारा अभी भी मण्डी बोर्ड मुख्यालय के द्वारा पूर्व मे जारी पत्र कमांक/नियमन/लायसेंस/2133–2134 दिनांक 18.6.2018 मे उल्लेखित ''मण्डी क्षेत्र के अथवा बाहर निवास करने वाले आवेदको से व्यापारी संघ की गारंटी के साथ ''अ'' वर्ग की मण्डी हेतु रूपये 3.00 लाख, ''ब'' वर्ग हेतु रूपये 2.00 लाख, ''स'' वर्ग हेतु रूपये 1.50 लाख तथा ''द'' वर्ग हेतु रूपये 1.00 लाख की बैंक गारंटी अथवा एफडीआर की मांग की जा रही है। जिससे व्यापारियो को अनुज्ञप्ति (नवीन/नवीनीकरण) बावत दी जाने वाली प्रतिभूति के संबंध मे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस प्रकार के प्रावधान मण्डी बोर्ड मुख्यालय के संदर्भित पत्र कमांक/बी–6/नियमन/लायसेंस/

476/46–47 दिनांक 25.7.2018 से विलोपित किये जा चुके है एवं इस पत्र के पैरा 2 मे अंकित निर्देशो के नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित हो चुके है जो कि वर्तमान मे प्रभावशील है।

अतः एतत्द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि मण्डी व्यापारी अनुज्ञप्ति की प्रतिभूति के संबंध मे मण्डी बोर्ड मुख्यालय के पत्र कमांक कमांक/बी–6/नियमन/लायसेंस/476/46–47 दिनांक 25.7.2018 का पूर्णतः पालन किया जाये। त्वरित संदर्भ हेतु पत्र दिनांक 25.7.2018 की प्रति पुनः ई–मेल की जा रही है।

22/2/19

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

276

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25/7/2018

क्र/बी-6/नियमन/लाइसेंस/476/56

प्रति,

1 सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
मध्य प्रदेश (समस्त)

2 संयुक्त/उप संचालक,
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय (समस्त)

विषय:मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सेवा - म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 31 अंतर्गत वर्णित मंडी कृत्यकारियों को अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने या उसके नवीनीकरण किये जाने बावत् ।

संदर्भ:-1 मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 31, भोपाल दिनांक 09.03.2017 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 31, भोपाल दिनांक 14.07.2017 में शामिल सेवा क्रमांक 31.3 व्यापारी (मंडी कृत्यकारी) नवीन अनुज्ञप्ति, 31.4 पक्का आढतिया (मंडी कृत्यकारी) नवीन अनुज्ञप्ति, 31.11 व्यापारी (मंडी कृत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, 31.12 पक्का आढतिया (मंडी कृत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण प्रदान करना ।

2 मंडी बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक/नियमन/लायसेंस/2133-2134 भोपाल, दिनांक 18.06.18 ।

विषय संदर्भ मे कंडिका 4 मे आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजो के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधानित किया गया था -

4. आवश्यक दस्तावेजः-

i. मंडी क्षेत्र के अथवा बाहर निवास करने वाले आवेदक को "अ" वर्ग की मंडी हेतु रूपये 3.00 लाख, "ब" वर्ग हेतु रूपये 2.00 लाख, "स" वर्ग हेतु 1.50 लाख तथा "द" वर्ग हेतु 1.00 लाख रूपये बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. न्यूनतम संबंधित मंडी समिति के पक्ष मे बनवाकर मंडी के खाते मे पांच वर्ष के लिये जमा करना अनिवार्य होगा। जो कि एक दिन की अधिकतम क्रय सीमा मात्रा के मूल्य अनुरूप वृद्धि की जावेगी।

उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिभूति के अतिरिक्त अधिक क्रय क्षमता पर संबंधित मंडी के व्यापारी संघ द्वारा प्रदत्त वैध सामूहिक प्रतिभूति से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को प्रदान की गई अतिरिक्त दैनिक क्रय क्षमता गारंटी उपविधि की कंडिका 18(3) के अनुरूप मान्य की जावेगी।

उक्त प्रावधान को विलोपित कर निम्नानुसार प्रावधान स्थापित किया जाता है :-

4. आवश्यक दस्तावेजः-

i (अ) मंडी क्षेत्र के आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ एक दिन की अधिकतम क्रय क्षमता का उपविधि 18(3) के अनुसार घोषणा पत्र-प्ररूप-छः

(ब) मंडी क्षेत्र के आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये एफ.डी.आर./ नकद प्रतिभूति दिये जाने की दशा मे उपविधि 18(4) के अनुसार प्रमाण पत्र प्ररूप-सात-अ

(स) मंडी क्षेत्र के आवेदक / अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये उपविधि 18(4) के अनुसार मण्डी समिति मे अचल/स्थावर संपत्ति के जमा कराये गये मूल अभिलेख की प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति की वैधता दिनांक तक प्रभावशील रहेगी परन्तु ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के समय आवेदक/ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थावर सम्पत्ति के स्थान पर नकद, एफ0डी0आर0, बैंक गारण्टी अथवा सामूहिक प्रतिभूति जमा करायी जायेगी। यदि आवेदक/ अनुज्ञप्तिधारी अचल/ स्थावर संपत्ति को मण्डी समिति के पक्ष मे रजिस्ट्री द्वारा बंधक करता/ रखता है तो ऐसी प्रतिभूति उपविधि 18(4) के अन्तर्गत मान्य होगी।

(द) मंडी क्षेत्र के आवेदक के द्वारा प्रतिभूति (व्यक्तिगत/सामूहिक) के लिये बैंक गारंटी दिये जाने की दशा मे संबंधित बैंक के प्रबंधक का वचन पत्र।

(इ) आवेदक के द्वारा सामूहिक प्रतिभूति की दशा मे मण्डी समिति मे पंजीकृत व्यापारी एसोसिएशन का उपविधि 18(3) के अनुसार प्रमाण पत्र प्ररूप-सात।

(फ) मण्डी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक को व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये "अ" वर्ग की मण्डी हेतु न्यूनतम रूपये 3.00 लाख, "ब" वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 2.00 लाख, "स" वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 1.50 लाख तथा "द" वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 1.00 लाख की मण्डी समिति के पक्ष मे नकद, एफ.डी.आर. अथवा बैंक गारंटी की प्रतिभूति ।

उपरोक्तानुसार, समस्त आवेदको के द्वारा एक दिन की अधिकतम क्रय क्षमता के अनुसार प्रतिभूति दी जायेगी। परन्तु आवेदक की एक दिन की खरीदी का मूल्य, दी गई प्रतिभूति राशि से अधिक है तो आवेदक के द्वारा एक दिन की ऐसी वास्तविक क्रय क्षमता/खरीदी के मूल्य अनुरूप प्रतिभूति मे अनुपातिक वृद्धि कर, तत्समय मण्डी समिति को अतिरिक्त प्रतिभूति दी जायेगी।

आवेदन की शेष औपचारिकतायें यथावत रहेगी।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक 25/7/2018

क्र/बी-6/नियमन/लाइसेंस/476/ 57

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त सह अतिमुख्य सचिव म0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय म. प्र. शासन, भोपाल ।
4. सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय म. प्र. शासन, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ।
6. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल ।
7. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
8. समस्त पटल प्रभारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल ।
9. आदेश नस्ती, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

–:वचन पत्र:–

.... (बैंक का नाम) .... (फर्म या आवेदक व्यापारी / प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता / व्यापारी एसोसिएशन का नाम) के संबंध में यह वचन दिया जाता है कि यदि उक्त फर्म / व्यक्ति / एसोसिएशन द्वारा किसी विकेता का रू0.............. तक का भुगतान नहीं करता है तो यह बैंक, मंडी समिति के सचिव से लिखित में सूचना प्राप्त होते ही मंडी समिति के खाते में रूपये .... तक का धन विकेता को भुगतान के लिये जमा करेगा।

यह वचन पत्र दिनांक .... तक वैद्य है।

प्रबंधक ....

बैंक शाखा ....